भारत को अमेरिका देगा एंटी टैंक मिसाइलें

अमेरिका ने एफजीएम-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड और इससे संबंधित उपकरणों को दी मंजूरी

4.71 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मंजूरी | **216** एम 982 एक्सकैलिबर प्रक्षेपास्त्रों की खरीदी

नई दिल्ली, 20 नवंबर. अमेरिका ने भारत को एफजीएम-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और एम 982 ए 1 एक्सकैलिबर प्रक्षेपास्त्र तथा संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है, जिसका अनुमानित मूल्य 4.71 करोड़ अमेरिकी डॉलर है.

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को एक्सकैलिबर प्रक्षेपास्त्र और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है. एजेंसी ने कांग्रेस को सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणन प्रदान किया है. गौरतलब है कि भारत सरकार ने अमेरिका से 216 एम 982 ए1 एक्सकैलिबर सामरिक प्रक्षेपास्त्रों की खरीद का अनुरोध किया है. इसमें शामिल की जाने वाली अतिरिक्त गैर-एमडीई वस्तुओं में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, प्राइमर, अमेरिकी सरकार की तकनीकी सहायता, तकनीकी डेटा, व वापसी सेवाएं, और रसद एवं कार्यक्रम सहायता के अन्य संबंधित सामग्री शामिल हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को मिलेगा बल प्रदान

प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी और एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा बढ़ाकर अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को बल प्रदान करेगी. भारत, हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है. वर्तमान में अमेरिकी सरकार को इस संभावित बिक्री के संबंध में प्रस्तावित किसी भी ऑफसेट समझौते की जानकारी नहीं है.

> इस बिक्री से भारत की वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा क्योंकि इससे उसे सटीक क्षमता वाले उपकरण मिलेंगे और उसकी हमले की सटीकता बढ़ेगी. भारत इन प्रक्षेपास्त्रों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में पूरी तरह सक्षम है. इस उपकरण और सहायता की प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा. इस सौदे का मुख्य कांट्रेक्टर आर्लिंग्टन, वर्जीनिया स्थित आरटीएक्स कॉर्पोरेशन होगा.

सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते, फिर दंगे करते हैं

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया पढ़े लिखे आतंकी खतरनाक

भाषणों से माहौल बिगड़ा और लोगों को उकसाया

नई दिल्ली, 20 नवंबर. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े-लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वे ओवरग्राउंड वर्कर्स से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं.

पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है. ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं. दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए. वीडियो में शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहा है. इन भाषणों से माहौल बिगड़ा और लोगों को उकसाने का काम हुआ. शरजील इमाम ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे भाषण दिए.

भारत-पाक युद्ध रोकने दी थी टैरिफ धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 20 नवंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध कवाने का दावा किया है.

उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को रोकने के लिए 350 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. साथ ही ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं. ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने में मदद की. जबकि भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के दखल से इनकार किया है. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं, और हमेशा से रहा हूं. मैंने पिछले कुछ सालों में, इससे पहले भी, इसमें बहुत अच्छा काम किया है. मैं अलग-अलग लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा था. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया और व्हॉइट हाउस की चीफ ऑफ स्टॉफ सूसी विल्स के सामने लाखों जानें बचाने के लिए धन्यवाद दिया.

> अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों से कहा था, मैं यह करने (शुल्क लगाने) जा रहा हूं...मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक-दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े. ट्रंप ने कहा कि दोनों देश पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से कहा था कि वह (संघर्ष को) समाप्त करने के लिए 350 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे और अगर दोनों देश युद्ध रोक देते हैं, तो हम एक अच्छा व्यापार समझौता करेंगे. ट्रंप ने कहा, कोई और राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता... आठ में से पांच युद्ध, व्यापार और शुल्क की वजह से सुलझे. मैंने यह किया.

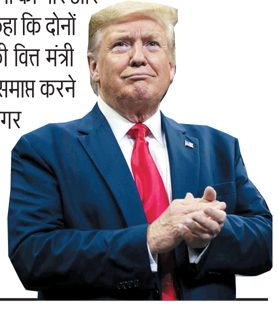

रूसी कंपनी ने हेलीकॉप्टरों के निर्यात अनुबंध किया

दुबई, 20 नवंबर. रूसी हथियार निर्यातक रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने इस वर्ष विभिन्न देशों को एमआई-17/171 और एमआई-35एम हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिये कई निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये हैं. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव ने गुरुवार को दुबई में एक प्रदर्शनी के दौरान यह जानकारी दी. दुबई एयरशो विश्व की अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है. इस कार्यक्रम का आयोजन 17 से 21 नवंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया रहा है. इस आयोजन में विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में नवाचारों का प्रदर्शन किया.

भेदभावपूर्ण प्रथा अस्वीकार्य : सुप्रीम कोर्ट

तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली, 20 नवंबर. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की प्रथा पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे भेदभावपूर्ण तरीके आधुनिक और सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते.

19 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने न केवल इस प्रथा पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि पति की जगह वकील या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक नोटिस भेजे जाने पर भी नाराज़गी जताई. अदालत ने पूछा-क्या पति में इतना भी साहस नहीं कि वह अपनी पत्नी से सीधे संवाद कर सके? पत्रकार बेनजीर हिना सहित कई मुस्लिम महिलाओं की याचिकाएं सुनते हुए बेंच ने तलाक प्रक्रिया में व्याप्त अनिश्चितताओं, ऐच्छिकता और महिलाओं के अधिकारों के हनन की ओर इशारा किया. बेनजीर के अनुसार, उनके पति ने बिना हस्ताक्षर वाले 11 पन्नों का तलाकनामा भिजवाया और खुद दूसरी शादी कर ली, जबकि वह अब भी अपने बच्चे की पढ़ाई और दस्तावेज़ों के लिए संघर्ष कर रही हैं. पति के वकील के -इस्लाम में इजाजत- वाले तर्क पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की—2025 में आप ऐसी व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं?

> सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी परंपराएं समाज को पीछे धकेलती हैं और यदि भेदभाव कायम है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की प्रथा पर ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए इसे आधुनिक समाज के मानकों के विरुद्ध बताया. कोर्ट ने इस प्रथा के तरीके, प्रक्रिया और उसमें महिलाओं के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कई सवाल उठाए. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा किसी तीसरे व्यक्ति चाहे वकील हो या कोई और द्वारा पत्नी को तलाक का नोटिस भेजना समझ से परे.

अलवर में दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

अलवर, 20 नवम्बर. राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को नये आयाम देते हुए अलवर जिले के पिनान कस्बे में 125 किलोमीटर पायदान पर स्थित विश्राम गृह में एक निजी कम्पनी 'बुक योर हेलीकॉप्टर' द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गयी है. कंपनी के प्रवक्ता मनीष कुमार सुनारी ने गुरुवार को बताया कि यह राजमार्ग पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज़ और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि इस हेलीकॉप्टर सेवा का प्राथमिक उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाना है.

एक नजर में

विमान को आपात स्थिति में खेत में उतारा

जैसलमेर, 20 नवम्बर. राजस्थान में जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को भारतीय वायुसेना के एक मानव रहित विमान को तकनीकी खराबी के कारण एक खेत में आपात स्थिति में उतारना पड़ा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इससे किसी प्रकार के जानमाल की हानि की सूचना नहीं है. मानव रहित विमान अपने नियमित अभ्यास उड़ान पर था. घटना की जानकारी मिलने पर वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे. साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू की.

कानपुर में 4 दोस्तों की एक साथ मौत

कानपुर, 20 नवंबर. कानपुर पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में अंगीठी जलाकर सो रहे चार दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई. कमरे में वेंटीलेशन नहीं था, जिसकी वजह से धुएं से दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने कहा कि कमरे में वेंटिलेटर नहीं था. चारों श्रमिक देवरिया जिले के थाना तरकुलवा तौकलपुर के रहने वाले थे. दोस्तों ने बताया कि बुधवार की शाम को तीन लोग अपने घर चले गए थे. शेष चारों कमरे में ही रुक गए थे. तसले में जलता हुआ कोयला लेकर कमरे के अंदर रख लिया. कमरे में वेंटिलेटर भी नहीं था. दम घुटने से चारों की मौत हो गई.

हंदवाड़ा में लश्कर के दो सहयोगी गिरफ्तार

श्रीनगर, 20 नवंबर. जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ ने मिलकर बनाया है. पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने लश्कर के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. आतंकी सहयोगियों की निशानदेही पर टूटीगुंड जंगल से हथियार भी बरामद किए हैं. इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर के जो दो मददगार पकड़े गए हैं, उनकी शिनाख्त परवेज अहमद डार पुत्र मोहम्मद रुस्तम डार और शौकत अहमद शेरगुजरी पुत्र के बेटे गुलाम मोहम्मद शेरगुजरी के तौर पर हुई है. ये दोनों ही टूटीगुंड, हंदवाड़ा के रहने वाले हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है.

छत्तीसगढ़ परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र

मुर्मु ने अंबिकापुर में मनाया जनजातीय गौरव दिवस

अंबिकापुर, 20 नवंबर. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार के आमंत्रण पर यहां पहुंचीं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया.

ऐतिहासिक आयोजन में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की जनजातीय उन्नयन और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी पहलों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ देश की जनजातीय परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है. श्रीमती मुर्मु ने अपने संबोधन में धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ महतारी का स्मरण करते हुए कहा, जनजातीय समुदायों ने देश की आजादी और विकास में अमूल्य योगदान दिया है. उनकी परंपराएं, संस्कृति और जीवन-मूल्य भारत की आत्मा हैं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नाम से एक नया संग्रहालय स्थापित किया गया है. जो देश की जनजातीय विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. राष्ट्रपति ने आत्मीयता के साथ कहा कि उन्हें गर्व है कि वह एक महिला हैं और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं. इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती खिलाड़ी क्रांति गोंड का विशेष उल्लेख किया.

आज का इतिहास

- 1517 - दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी द्वितीय का निधन।
- 1872 - कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट का जन्म।
- 1877 - प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया।
- 1906 - चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई।
- 1921 - प्रिंस ऑफ वेल्स बांबे पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया।
- 1938 - हिन्दी फल्मिों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी

वीआईटी को मिला पर्यावरणीय प्रभाव श्रेणी में 194वां स्थान

चेन्नई, 20 नवंबर. वेल्लोर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में भारत में 7वां और वैश्विक स्तर पर 352वां स्थान हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है.

पर्यावरणीय प्रभाव श्रेणी में, वीआईटी ने वैश्विक स्तर पर 194वां स्थान प्राप्त करके अपनी अलग पहचान बनाई है. इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए, वीआईटी के चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन ने कहा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा जारी की गई है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हिस्सा बनने वाली इस समर्पित सस्टेनेबिलिटी श्रेणी में, संस्थानों का मूल्यांकन आठ प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर किया जाता है समानता, ज्ञान का आदान-प्रदान, शिक्षा का प्रभाव, रोजगार और अवसर, स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय अनुसंधान और सामाजिक प्रभाव. वीआईटी ने 74.9 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 352वें और भारतीय संस्थानों में 7वें स्थान पर पहुंच गया है. विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और शासन की तीन श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

पांच सौ जरूरतमंदों को वस्त्र किए वितरित

किशनी इटारसी, 20 नवंबर. गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय बलिदान और मानवता के संदेश को दो अलग-अलग शहरों किशनी और इटारसी ने इस वर्ष अद्भुत तरीके से याद किया. मैनपुरी के किशनी में आरएसएस द्वारा आयोजित सेवा कार्यक्रम में करीब पांच सौ जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नई उम्मीद के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए. आयोजकों ने बताया कि यह पहल केवल सेवा नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी की उस विरासत का सम्मान है, जिसमें त्याग, साहस और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है. उधर, इटारसी में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर एक भावपूर्ण समागम आयोजित किया गया. स्कूल के नन्हे बच्चों द्वारा कीर्तन, सलोक गायन और रैली ने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया. रैली में गुरु जी के जीवन, शौर्य और मानवता के संदेश को एक खुले रथ से पूरे नगर में प्रसारित किया गया. अभिभावकों और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने बच्चों की प्रस्तुति को सराहा और इसे गुरु परंपरा से सीधा जुड़ाव बताया. दोनों शहरों में हुए आयोजन न केवल श्रद्धांजलि थे, बल्कि समाज में सेवा, एकता और मानवता को फिर से जागृत करने का माध्यम भी बने. सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में गुरुवार को किशनी और इटारसी में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सेवा, भक्ति और मानवता का सुंदर संगम देखने को मिला. मैनपुरी के किशनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा जरूरतमंदों के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. रोडवेज बस स्टैंड परिसर में लगाए गए स्टॉल पर लगभग पांच सौ लोगों ने नए कपड़े प्राप्त किए. इनमें बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में जरूरतमंद शामिल रहे.

शिवकुमार ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने का संकेत दिया

बेंगलुरु, 20 नवंबर. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटने के संकेत दिया है जिससे राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नयी राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है.शिवकुमार ने हालांकि इस्तीफे की किसी भी संभावना से इनकार किया है.वह पिछले पांच साल से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर.

ईडी ने नकली समन के केसों से निपटने क्यूआर कोड सत्यापन

नई दिल्ली, 20 नवंबर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नाम पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए नकली समन भेजे जाने की बढ़ती खबरों के बीच ईडी ने नागरिकों को समन नोटिस की असलियत सत्यापित करने में मदद करने के लिए नए तरीके लागू किए हैं. वित्त मंत्रालय ने आज अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिये इसकी घोषणा की. नकली ईडी समन असली नोटिस जैसे ही होते हैं, जिससे पाने वालों के लिए सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है. इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ईडी अब सिस्टम से बनने वाले समन जारी कर रहा है जिसमें एक क्यूआर कोड और एक यूनिक पासकोड होता है.

M.P. STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
26- ARERA HILLS JAIL ROAD BHOPAL
Board/Nirman/Pro.Cell/Bhawantar DVI/2025-26/1992 Dt: 20.11.25

NOTICE INVITING TENDER

Online Lump-Sum Rate E-Tenders are invited from the eligible bidders for Selection of an EPC Contractor for turnkey implementation of an AI-based voice-enabled communication and broadcasting system with audio-visual advisory devices for farmers across various APMCs of Madhya Pradesh for 24 months. (Tender Number : 2025_MPSAM_462248) (PAC amount Rs. 1034.82 Lakh). The following Tender to be received online up to 5:00 PM on 12.12.2025. Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the **http://mptenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only on above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of project and locations & key dates can also be seen on our website **www.mpmandiboard.gov.in**

M.P.M./123123/2025 **EXECUTIVE ENGINEER (Project cell)**

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: srmmp.fci@nic.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/आरएण्डसी एनआईटी/2025/32 दिनांक: 21.11.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

जोखिम एवं खर्च पर ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

बाबासाहेब केदार शेतकारी सहकारी सूत गिरनी मर्या.
हिंगना (वानाडोंगरी), जिला, नागपुर। मो. 9975999402, 8999049870
ई-मेल: bksssgltd@rediffmail.com

सार्वजनिक नीलामी सूचना

बाबासाहेब केदार शेतकारी सहकारी सुत गिरनी मर्या., हिंगना, वानाडोंगरी, जिला नागपुर के स्वामित्व वाली भूमि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाना है, जिसका विवरण इस प्रकार है।

(मौजा बोरखेड़ी (बुटीबोरी)) साजा नंबर 74

क्र.	स्थान	खसरा नं.	आराजी	कुल एकड़	विवरण
1	बुटीबोरी (बोरखेड़ी)	139/1/बी	1.21	2.99	बुटीबोरी पुलिस स्टेशन के पीछे पंजीकरण और स्टाम्प विभाग, महा. सरकार (6.4.1) आवासीय और अन्य उपयोग विकास भूमि में भूमि का भूखंड (मेट्रो क्षेत्र)
2	बुटीबोरी (बोरखेड़ी)	139/2	1.60	3.95	
3	बुटीबोरी (बोरखेड़ी)	139/3/बी	0.40	0.99	
कुल			3.21	7.93	

सार्वजनिक नीलामी

1	भूमि का आरक्षित मूल्य	रु. 32.90 करोड़
2	भूमि देखने की अवधि	दि. 21.11.2025 से दि. 28.11.2025
3	भूमि के मूल दस्तावेजों को देखने की अवधि और समय	दि. 21.11.2025 से दि. 28.11.2025 सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (कार्य दिवस पर)
4	सार्वजनिक नीलामी की तारीख और समय	सोमवार दि. 01.12.2025 दोपहर 12.30 बजे
5	स्थल	सूत गिरनी हिंगना मुख्यालय

नियम और शर्तें:- 1) सार्वजनिक नीलामी की बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होगी 2) सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने वालों को 25,00,000 रुपये (शब्दों में पच्चीस लाख रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। 3) प्रॉपर्टी खरीदार को 7 दिनों के भीतर राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 4) अगले 25 प्रतिशत का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना होगा। 5) शेष राशि का भुगतान अगले 15 दिनों के भीतर करना होगा। 6) यदि स्वीकृत संपत्ति धारक निविदा को अस्वीकार कर देता है, तो जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। 7) प्रॉपर्टी होल्डर का आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच करना होगा। 8) संपत्ति को बेचने या अस्वीकार करने का अधिकार संगठन द्वारा सुरक्षित है। 9) संपत्ति की बिक्री के संबंध में नियमों और शर्तों के अधीन लेनदेन पूरा किया जा सकता है

माननीय निदेशक मंडल की ओर से
बाबासाहेब केदार शेतकारी सहकारी सूत गिरनी मर्या.

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	JLRJL24015746/ हरि चंद कोल/ चन्द्रप्रभा जी/अमित कोल	रु. 2493719/- (चौबीस लाख तेरानवे हजार सात सौ उन्नीस मात्र)	08-10-2025 13-11-2025 11-11-2025	मकान संख्या 5, प्रवेश 1040 वर्ग फुट, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, अधिकारों में, ख.सं. 593/1/2 का भाग, मौजा बिलपुरा, पी.एच.सं. पुराना 21/16 नया 53, मर्शी बाल्मीक रोड वार्ड संख्या 78, तह.-रांझी, जिला जबलपुर-482005, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः बंडू का प्लॉट कश्यप पश्चिमः मकान संख्या 4 गुड्डी बाई (विक्रेता) उत्तरः साइड रोड दक्षिणः गुड्डी बाई (विक्रेता) का प्लॉट

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक : 21.11.2025 **एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी**